



राजि० नं० एल० डब्लू०/एन० पी० 588

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू, पोस्ट एंड कन्सेशनल रेंट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार 30 दिसम्बर, 1993

पौष 9, 1915 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या-1698-17-वि-1-1(क) 26-1993

लखनऊ, 30 दिसम्बर, 1993

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1993 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1993]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने और उससे सम्बद्ध दो आनुवंशिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 कहा जायेगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

परिभाषा

2—इस अधिनियम में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित
जनजातियों के
पक्ष में रिक्तियों
का आरक्षण

3—(1) राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए सीजी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पक्ष में रिक्तियों का निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा:—

- (क) अनुसूचित जातियों के मामले में—अट्टारह प्रतिशत,
(ख) अनुसूचित जनजातियों के मामले में—दो प्रतिशत:

परन्तु यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पश्चिमी द्वारा भरे जाने वाले पदों का आरक्षण लागू था तो ऐसा आरक्षण 16 नवम्बर, 1992 से पांच साल की कालावधि तक लागू रहेगा।

(2) यदि अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये भर्ती का वर्ष इकाई के रूप में लिया जाएगा न कि यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या:

परन्तु किसी भी समय आरक्षण, यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की संपूर्ण संख्या से उपधारा (1) में नियत प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा (6) में उल्लिखित किसी व्यक्ति की गिनती इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए नहीं की जायेगी।

(4) यदि भर्ती के किसी वर्ष, में उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति बिना भरे रह जाती है तो, अगले चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से विशेष भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट रिक्ति के उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से बिना भरे रह जाने की दशा में उस भर्ती के अगले वर्ष में इस शर्त के अधीन अग्रणीत किया जा सकेगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1989 के अधीन नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण को सम्मिलित करते हुये रिक्तियों का कुल आरक्षण भर्ती के उस वर्ष में कुल रिक्तियों के पक्ष में प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(6) यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के लिये यथा निर्धारित समान मानकों पर चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों के प्रति सहाय्योजित नहीं किया जायेगा।

कठिनाइयों को
दूर करना

4—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से अस्तंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

अपवाद

5—इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो।

निरसन और
अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1993 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध अभी लागू होने के समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
एन0 के0 नारंग,
सचिव।

No. 1698 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-26-1993

Dated Lucknow, December 30, 1993

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon Aur Anusuchit Janjatiyon Ke Liye Aarakshan) Adhiniyam, 1993 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1993) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 29, 1993.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ACT, 1993

[U. P. ACT NO. 3 OF 1993]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN
ACT

to provide for the reservation of posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Act, 1993.

Short title and Commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on December 11, 1993.

2. In this Act "year of recruitment" means a period of twelve months commencing on the first of July.

Definition

3. (i) In public services and posts, in connection with the affairs of the State there shall be reserved the following percentages of vacancies at the stage of direct recruitment in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes,—

Reservation of vacancies in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

(a) in the case of the Scheduled Castes—eighteen per cent;

(b) in the case of the Scheduled Tribes—two per cent;

Provided that if on the date of commencement of this Act, reservation was applicable to posts to be filled by promotion, such reservation shall continue to be applicable for a period of five years from November 16, 1992.

(2) If persons belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancies reserved for them under sub-section (i), such vacancies shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes.

(3) For the purposes of sub-section (1), an year of recruitment shall be taken as the unit and not the entire strength of the cadre or service, as the case may be :

Provided that at no point of time the reservation shall, in the entire strength of the cadre or service as the case may be, exceed the percentages fixed under sub-section (1).

Explanation: - A person mentioned in sub-section (6) shall not be counted for the purposes of this proviso.

(4) If in any year of recruitment any of the vacancies reserved under sub-section (i) remains unfilled, efforts shall be made to fill such vacancy by special recruitment from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes before the process for the next selection is started.

(5) In case the vacancy referred to in sub-section (4) remains unfilled due to non-availability of suitable candidates or for any other reason, it may be carried over to the next year of recruitment subject to the condition that the total reservation of vacancies including reservation for the backward classes of citizens under the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989, shall not exceed fifty per cent of the total vacancies in that year of recruitment.

(6) If a person belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes gets selected on the basis of merit in an open competition on the same standards as fixed for the general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved under sub-section (1).

Removal of difficulties

4. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Savings

5. The provisions of this Act shall not apply to cases in which selection process has started before the commencement of this Act.

Repeal and savings

6. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Ordinance, 1993 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.